



HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT JODHPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 2962/2026

- 1. Mangla Ram S/o Lima Ram, Aged About 41 Years, Resident Of Outside Bilada Gate, Sojat City, District Pali (Lodged In Sub Jail Sojat)
- 2. Kukaram S/o Deva Ram, Aged About 65 Years, Resident Of Outside Bilada Gate, Sojat City, District Pali (Lodged In Sub Jail Sojat)

-----Petitioners

Versus

State Of Rajasthan, Through Its PP

-----Respondent

For Petitioner(s) : Mr. Suresh Kumbhat
For Respondent(s) : Mr. Pawan Bhati, PP

HON'BLE MR. JUSTICE MUKESH RAJPUROHIT

Order

23/03/2026

This second application for bail under Section 483 of BNSS (439 Cr.P.C.) has been filed by the petitioners who have been arrested in the present matter. The requisite details of the matter are tabulated below:

S. No.	Particulars of the case	
1.	FIR Number	405/2024
2.	Police Station	Sojat City
3.	District	Pali
4.	Offences alleged in the FIR	Under Sections 189, 103(1), and 61(2)(b) of BNS 2023.
5.	Offences added, if any	Section 3(5) of BNS, 2023.

The 1st bail application filed on behalf of petitioners, i.e. S.B. Criminal Misc. Bail Application No. 5314/2025 was dismissed vide

order dated 14.07.2025, passed by this Court, with liberty to the petitioners to file a fresh bail application after recording the statements of eye-witnesses, namely, Gajendra Singh and Arun Kumar.

After rejection of the first bail application, the statements of Gajendra Singh and Arun Kumar have been recorded before the trial court as PW-1 and PW-3 respectively. Hence, this second bail application has been filed.

Heard learned counsel for the petitioners and learned Public Prosecutor.

It is contended by learned counsel for the petitioners that the allegations levelled against the petitioners are false and fabricated. It is submitted that PW-1, Gajendra Singh, Revenue Inspector of the Tehsil, has been belatedly projected as an eyewitness to the incident. However, according to his own testimony, he categorically states that he left the place when the quarrel began and, therefore, could not have witnessed the entire occurrence. He has also deposed that he was there for a site inspection after the orders of the Tehsildar; however, there is no order or written direction on record to show that he reached the spot pursuant to any instruction issued by the Tehsildar or any other competent authority. The relevant part of statement of P.W. 1 is extracted below:

मैं दिनांक 29.11.2024 को सोजत चक द्वितीय में पटवारी के पद पर कार्यरत था। दिनांक 28.11.2024 को तहसीलदार सोजत द्वारा जारी आदेश की पालना में चामडीयाक रोड़ पर खसरा नम्बर 574 वगैरा पर मौका रिपोर्ट के लिए गया था। उस रोज मेरे पास चक प्रथम का भी अतिरिक्त चार्ज था। जब मैं मौके पर गया तो खेत के अन्दर दो आदमी खड़े थे। उस समय लगभग 11:30, 11:40 एएम का समय था। खेत के बाहर बुद्धाराम जी खड़े थे। जिनके पास मोटरसाईकिल थी। खेत के अन्दर खड़े

कुकाराम व मंगलाराम को मैंने खेत का दरवाजा खोलने के लिए कहा तो उन्होंने खेत का दरवाजा खोलने से मना कर दिया तथा उन्होंने मुझे पूछा की आप कौन है जिसपर मैंने मेरा नाम व मेरा पद बताया था। मैंने उनसे कहा मुझे तहसीलदार का आदेश है इसलिए मुझे मौका रिपोर्ट बनानी है इसलिए खेत का दरवाजा खोली लेकिन फिर भी उन्होंने गेट नहीं खोला जिस पर मैंने तहसीलदार जी को फोन किया। फिर मैंने थाने पर भी फोन किया कि मौके पर विवाद होने की संभावना है। मैं फोन पर व्यस्त था उस समय खेत के अन्दर वाले दोनों व्यक्तियों ने गेट खोलकर बुद्धाराम जी को अन्दर खिंच लिया था। फिर अन्दर वह झगड़ रहे थे तो मुझे फिर एक व्यक्ति ने आकर कहा की आप यहां से चले जावों फिर मैं वहां से चला गया था। उसके बाद क्या हुआ मुझे इसकी जानकारी नहीं है। फिर बाद में मैंने सुना की बुद्धाराम की मृत्यु हो गई है। झगड़ा उनके आपसी विवाद का होगा मुझे इसका पता नहीं है। एक व्यक्ति जो मुझे बाहर कहने आया था कि आप यहां से चले जावों उसके हाथ में मैंने एक लाठी देखी थी।

.....

यह कहना सही है कि राजस्व सोजत को दो भागों में विभाजित किया हुआ है जो सोजत चक प्रथम व सोजत चक द्वितीय है। यह कहना सही है कि सोजत चक प्रथम के पटवारी द्वारा मुझे लिखित में कोई चार्ज सुपूद नहीं किया था, अजखुद कहा की तहसीलदार सोजत के द्वारा मुझे चार्ज दिया गया था। यह कहना गलत है कि तहसीलदार सोजत द्वारा मुझे किसी प्रकार का कोई लिखित आदेश जारी नहीं किया गया हो। यह कहना सही है कि मेरे पास लिखित में सोजत प्रथम का चार्ज हो इस संबंध में लिखित आदेश की प्रति मैंने अनुसंधान अधिकारी को नहीं दी थी. अजखुद कहा की अनुसंधान अधिकारी के द्वारा मेरे से मांगी नहीं गई थी।

It is further submitted that PW-1 has made material improvements in his deposition before the Court as compared to his earlier police statement, thereby rendering his version highly doubtful. It is further submitted that there is no boundary wall at the site, therefore, if he was truly an eyewitness, he could easily have seen the incident taking place inside the field. Notably, name of the witness was not mentioned in the FIR as an eyewitness to the occurrence.

Learned counsel further contended that PW-3 Arun Kumar was also introduced as an eyewitness and his police statement was recorded on 02.12.2025, i.e., after 4 days, and he initially failed to identify the accused persons. The relevant portion of the

statement of P.W.-3 recorded before learned trial court is extracted herein below:

मेरी भावना वेलडिंग उद्योग के नाम से बोरूदा में दुकान है। जिसमें मैं वेलडिंग का काम करता हूं। दिनांक 29.11.2024 को मैं मेरे गांव पीपाड सिटी से दादिया गांव जाने के लिए रवाना हुआ था तथा लगभग 1-11:30 बजे चामडियाक व सोजत सिटी के बीच में रोड पर पहुंचा था। जहां पर एक मेहंदी का खेत आया हुआ है, जिसमें बाहर सरिया की फाटक लगी हुई है। वहां पर एक बुजुर्ग आदमी दूसरे बुजुर्ग आदमी के साथ मारपीट कर रहे थे तथा जो मारपीट मारपीट करते करते उस व्यक्ति को अंदर ले गये थे। अंदर एक व्यक्ति ओर था। बाहर रोड पर एक मोटरसाईकिल खड़ी थी। अंदर जो खड़े व्यक्ति थे, उनके एक के हाथ में लाठी और दूसरे के हाथ में कूट थी। जिससे वह उस वृद्ध व्यक्ति को नीचे गिराकर मारपीट कर रहे थे। मैं पेर से विकलांग होने के कारण छुड़ाने के लिए अंदर नहीं गया था तथा बाहर से पांच मिनट खड़े रहकर दूसरे आदमी का इंतजार कर रहा था, लेकिन वहां उस समय दूसरा कोई नहीं मिलने पर मैं वहां से निकल गया। फिर मैं लगभग दो घंटे बाद वापस उसी रोड से निकला तो वहां पर काफी लोग खड़े मिले थे। लोगों से पूछने पर पता चला कि मंगलाराम व कुकाराम ने बुधाराम घांची को मार दिया। मेरे सामने अगर मंगलाराम व कुकाराम आये तो मैं उनको पहचान सकता हूं।

नोट- गवाह ने जाहिर किया कि आगे वाला कुकाराम है फिर कहा कि मंगलाराम है फिर कहा कि कुकाराम है और पीछे वाले व्यक्ति का नाम कुकाराम होना बताया फिर कहा कि मंगलाराम है। अंतिम बार में गवाहान ने मुलजिमान को सही पहचान किया।

.....

यह कहना सही है कि मैं पहली बार मौके पर पहुंचा तब बुड़े व्यक्ति के हाथ में कुछ नहीं था अजखुद कहा कि मंगलाराम के हाथ में लाठी थी और कुकाराम ने खेत में से कूट (पेड काटने का धारदार हथियार) उठाई थी। प्रदर्श डी 3 में किसके हाथ में क्या था, यह नहीं लिखा हुआ है। यह कहना सही है कि मुझे दो घंटे बाद ही पता चला था कि मंगलाराम व कुकाराम ने लाठी व कूट से बुधाराम की हत्या की थी। यह कहना सही है कि एक बुड़े व्यक्ति ने दूसरे बुड़े व्यक्ति को हाथ से खींचकर अंदर लेकर नहीं गया था अजखुद कहा कि उसे पीछे से कमर पकड़कर अंदर लेकर गया था। यह कहना सही है कि उस समय मंगलाराम बाहर खड़ा नहीं था अजखुद कहा कि वह खेत के अंदर था। खेत के अंदर फाटक से 5 फीट अंदर की तरफ खड़ा था। यह कहना सही है कि खेत के बाहर की दोनों तरफ खाई खुदी हुई है अजखुद कहा कि जहां फाटक थी वहां खाई नहीं थी। मैं खेत से करीब 300 किलोमीटर दूरी पर खड़ा था फिर कहा कि 300 फुट दूरी पर खड़ा था। यह कहना सही है कि बुधाराम को रगड़कर नहीं लेकर जा रहे थे।

It is further submitted that as per the post-mortem report, the injuries sustained by the deceased were not on any vital part of her body.

Learned counsel submitted that the petitioners have been in custody since 1.12.2024; there are no criminal antecedents

against petitioner Manglaram and only one antecedent against Kukaram, that too pertains to the year 2004, wherein he was released on probation.

Per contra, learned Public Prosecutor has opposed the bail application and submitted that weapons and blood stained clothes of deceased have been recovered from the possession of the present petitioners; which clearly establishes the involvement of the present petitioners in the said crime, therefore, they may not be enlarged on bail.

In response, learned counsel for the petitioners submits that as per the FSL report, the blood grouping in respect of the alleged recovered clothes and weapons is reported as "Inconclusive" except for one T-shirt. However, the issue as to whether the detected blood relates to the deceased is a matter of trial.

Having heard and considered the rival submissions, facts and circumstances of the case and considering the fact that petitioners have been in custody since 1.12.2024; the trial of the case will take sufficient time to conclude; without expressing any opinion on the merits/demerits of the case, this Court is inclined to enlarge the petitioners on bail.

Consequently, the second bail application under Section 483 of BNSS (439 of Cr.P.C.) is allowed. It is ordered that the accused-petitioners as named in the cause title, arrested in connection with the above mentioned FIR, shall be released on bail, if not wanted in any other case, provided each of them furnishes a personal bond of Rs.1,00,000/- and two sureties of

Rs.50,000/- each, to the satisfaction of learned trial court, for their appearance before that court on each & every date of hearing and whenever called upon to do so till completion of the trial.

(MUKESH RAJPUROHIT),J

75-/Jitender//-